निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1945 (श0)
(सं0 पटना 794) पटना, शनिवार, 30 सितम्बर 2023

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना
27 सितम्बर 2023

एस० ओ०–252, दिनांक 30 सितम्बर, 2023––यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा–5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्व अनुसूची–1(ब)के स्तंभ–2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते है । अनुसूची –1(ब) के स्तभं –02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची–1(अ) के स्तंभ–01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा–2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ–04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची–1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचंकाक आधार वर्ष (2016–100)	आधार वर्ष परिवर्त्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960–100)
1	2	3	4
जनवरी, 2023	132.8	4.63 X 4.93 X 2.88	8730
फरवरी, 2023	132.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8724
मार्च, 2023	133.3	4.63 X 4.93 X 2.88	8763
अप्रैल, 2023	134.2	4.63 X 4.93 X 2.88	8822
मई, 2023	134.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8855
जुन, 2023	136.4	4.63 X 4.93 X 2.88	8967
			योग :– 52861

वर्ष 2023 के प्रथम अर्द्धांश जनवरी–जुन का औसत–**52861**÷6=**8810.16**

अथवा–8810

अनुसूची–1(ब)

क्र0 सं0	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक–01.04.2023 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	**कृषि नियोजन**	अधिसूचना संख्या – 1695,1696 दिनांक– 31.03.2023 गजट सं०–302 दिनांक–10.04.2023	**कृषि नियोजन**

अनुसूची–II

क्र0 सं0	कामागारों की कोटि	दिनांक–01.09.2022 +01.10.2022+ 01.04.2023 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक– 01.10.2023 से प्रभावी होगी	01.10.2023 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	कटनी कार्य को छोड़कर अन्य कार्यो के लिए।	348.00+7.00+14.00=369.00	7.00	376.00 प्रतिदिन
2	ट्रेक्टर ड्राईवर एवं पम्प ऑपरेटर।	12587.00+252.00+503.00= 13342.00	252.00	13594.00 प्रतिमाह
3	ट्रेक्टर खलासी/पम्प खलासी/चौकीदा/ सिपाही/हलवाहा।	9795.00+196.00+392.00= 10383.00	196.00	10579.00 प्रतिमाह
4	**कटनी**	**काटी गई फसल के 10 बोझा में एक बोझा ।**		

परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों से परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथोस्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ–4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा । परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस विन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से **जनवरी–जुन, 2023** के औसत के आधार पर **1 अक्टूबर, 2023** से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं० 5/एम0डब्लू0–40–17/2021 श्र0सं0–5368)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आलोक कुमार,
विशेष सचिव।

27 सितम्बर 2023

एस० ओ० 253–252, दिनांक 30 सितम्बर, 2023 का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं० 5/एम0डब्लू0–40–13/2021 श्र0सं0–5369)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आलोक कुमार,
विशेष सचिव।

The 27th September 2023

S.O. 252, Date 30th September, 2023--In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

SCHEDULE- 1-(A)

Month & Year	Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January, 2023	132.8	4.63 X 4.93 X 2.88	8730
February, 2023	132.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8724
March, 2023	133.3	4.63 X 4.93 X 2.88	8763
April, 2023	134.2	4.63 X 4.93 X 2.88	8822
May, 2023	134.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8855
June, 2023	136.4	4.63 X 4.93 X 2.88	8967
Total			**52861**
Second Half Yearly Average of the year January to June,2023. **52861÷6=8810.16**			

or 8810

Schedule-1(B)

Sl.no	Name of employment	Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.04.2023	Total
1	**2**	**3**	**4**
1	Agriculture Operations	Notification No- 1695,1696 Dated- 31.03.2023 Gazette No.- 302 Dated- 10.04.2023	Agriculture Operations

Schedule-II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated- 01.09.2022 +01.10.2022+01.04. 2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2023 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2022 Column (3+4)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	All other agricultural operations except harvesting	348.00+7.00+14.00= 369.00	7.00	376.00 Perday

Sl. No	Categories of Worker	From Dated- 01.09.2022 +01.10.2022+01.04. 2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2023 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2022 Column (3+4)
2	Tractor Driver and Pump operator	12587.00+252.00+503.00= 13342.00	252.00	13594.00 Per Month
3	Tractor Khalasi / Pump Khalasi/ Choukidar/ Sipahi	9795.00+196.00+392.00= 10383.00	196.00	10579.00 Per Month
4	Harvesting	**One bundle in 10 bundle of harvested crops.**		

The rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in rates of wages shown in colum-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above schedule employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed/ revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January - June, 2023** will be payable at the aforesaid rates form **1st Octobet, 2023** and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of the three said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-13/2021 L&R-5368)
By the order of the Governor of Bihar,
Alok Kumar,
Special Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 794-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: http://egazette.bih.nic.in